

# कार्यालय निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान, बीकानेर

क्रमांक:-शिविरा/माध्य/संस्था/एफ-1/12102/सी.भ./व.अ.-उद्दृ(टीएसपी)-2018/2020/ दिनांक ३०८/२०२०

संयुक्त निदेशक,  
स्कूल शिक्षा, सम्भाग कार्यालय,  
पाली/उदयपुर ।

विषय :- राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 विषय-उद्दृ (टीएसपी) में चयनित अभ्यर्थियों को सम्भाग आवंटन कर नियुक्त एवं पदस्थापन करने के संबंध में।

प्रसंग :- शासन संयुक्त सचिव, शिक्षा (ग्रुप-2) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर का पत्रांक प.17(7)शिक्षा-2/2016 जयपुर, दिनांक 02.07.2020 के क्रम में

उपर्युक्त विषयान्तर्गत राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर के पत्र क्रमांक एफ 7(02)परीक्षा-ग /व030/माध्य.शिक्षा/2018-19/अभिस्तावना/2241 दिनांक 06.03.2020 द्वारा वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 में विषय-उद्दृ (टीएसपी) द्वितीय वेतन श्रृंखला वरिष्ठ अध्यापक पद हेतु अन्तिम रूप से चयनित एवं अभिस्तावित किये गये अभ्यर्थियों का विभाग स्तर से परिनिरीक्षा उपरान्त प्रासंगिक पत्र द्वारा जारी दिशा-निर्देश पत्रांक प.17(7)शिक्षा-2/2016 जयपुर, दिनांक 02.07.2020 (प्रति सलान) में अंकित शर्तों के अनुसार सम्भाग आवंटन सूची मय मूल विस्तृत आवेदन पत्र संलग्न कर लेख है कि दिनांक ३०८/२०२० को परामर्श शिविर (काउसंलिंग) आयोजित किया जावे।

विभागीय वेबसाईट पर अपलोड किए जाने हेतु रिक्तियां एवं वरीयता सूची इस कार्यालय के कम्प्यूटर अनुभाग की ईमेल आईडी sa.dse@rajasthan.gov.in पर काउसंलिंग पूर्व भिजवाया जाना सुनिश्चित करावे। काउसंलिंग (परामर्श कैम्प) आयोजित कर एवं निम्नांकित बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए नियमानुसार वरिष्ठ अध्यापक ग्रेड-ग पद पर नियुक्ति आदेश जारी कर विभागीय वेबसाईट एवं कार्यालय नोटिस पर प्रकाशित कर प्रति तुरन्त इस कार्यालय को भिजवाया जाना सुनिश्चित करें -

1. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व नियमानुसार संबंधित अभ्यर्थी का संबंधित जिला पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रदत्त चरित्र सम्बन्धी सदाचारण रिपोर्ट एवं सक्षम चिकित्सा अधिकारी द्वारा प्रदत्त स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्राप्त किया जाना सुनिश्चित किया जावे, इसके अभाव में किसी भी अभ्यर्थी को नियुक्ति पर कार्यग्रहण नहीं करवाया जावे। पूर्व से राजकीय सेवा में सेवारत कार्मिकों हेतु यह आवश्यक नहीं होगा।
2. चयनित आशार्थियों के पदस्थापन से पूर्व उनकी पात्रता, आयु एवं आरक्षण सम्बन्धी समस्त दस्तावेजों की जांच आवश्यक रूप से करें। आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रिक्तियों एवं अभ्यर्थी की विगत (details where about) की सही जांच कर आदेश जारी किये जावे त्रुटियां नहीं हो। त्रुटियां होने पर संबंधित के विरुद्ध विभागीय जांच सुनिश्चित की जावे।
3. नियुक्ति पर कार्यग्रहण करवाने से पूर्व राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 7(1)डीओपी/ए-ग/95 दिनांक 08.04.2003 के अनुसार संबंधित अभ्यर्थी से दिनांक 01.06.2002 को अथवा उसके पश्चात् उत्पन्न सन्तानों के फलस्वरूप कुल सन्तानों की संख्या दो से अधिक नहीं होने सम्बन्धी आशय का आवश्यक शपथ पत्र 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर प्राप्त किया जावे।
4. विवाहित अभ्यर्थियों के मामले में विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र अथवा यदि विवाह, विवाह पंजीयन अनिवार्य करने सम्बन्धी प्रावधान लागू होने से पूर्व हुआ है, तो तत्सम्बन्धी आशय का 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पर शपथ पत्र आवश्यक रूप से प्राप्त कर लिया जावे।
5. आवेदक द्वारा दहेज नहीं लिये जाने का रघ-घोषणा पत्र प्राप्त किया जावे।
6. आवेदन पत्र के साथ संलग्न दस्तावेजों का मिलान मूल दस्तावेजों से नियुक्ति दिये जाने से पूर्व आप अपने रत्तर पर करेंगे, मिलान में यदि कोई भिन्नता की रिथति पाई जावे तो उसके संबंध में पूर्ण टिप्पणी सहित प्रकरण तुरन्त इस कार्यालय को भिजवायें।
7. राज्य से बाहर की संरथाओं से प्राप्त शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यताओं की वैधता सम्बन्धी जांच विभाग स्तर पर करवाई जानी है, अतः जिन अभ्यर्थियों द्वारा राज्य से बाहर की संरथाओं से शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यता अर्जित की गई है, उन्हें यह नियुक्ति राज्य से बाहर की संरथाओं से प्राप्त की गई शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यता वैध व मान्य पाए जाने के अध्यधीन प्रदान की जावे एवं नियुक्ति पश्चात् इन अभ्यर्थियों के दस्तावेजों की जांच आप

द्वारा दल का गठन कर एक माह के भीतर आवश्यक रूप से करवाई जावें। इसके साथ ही आप द्वारा गठित जाँच दल को राज्य से बाहर की यात्रा हेतु सक्षम स्वीकृति प्रदान की जाती है।

8. नियुक्ति पर कार्यप्रहण करवाने से पूर्व रामरत अभ्यर्थियों से 50/- रु. के नॉन ज्यूडिशियल रटाम्प पर इस आशय का शपथ पत्र पूर्व में प्राप्त करेंगे। यदि इनके द्वारा अंतिम शैक्षिक/प्रशैक्षणिक योग्यता वैध व मान्य नहीं पाई गई तो उन्हें प्रदत्त यह नियुक्ति निररत करने एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही करने सम्बन्धी अधिकार विभाग के पास सुरक्षित रहेगा। ऐसी रिथति में तत्काल नियुक्ति निररत की जा सकेगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही अगले भी लाई जावें।
9. आपके स्तर पर यह भी जांच आवश्यक रूप से कर ली जाये कि:-
  1. अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित अभ्यर्थियों हेतु राज्य सरकार द्वारा अधिकृत सक्षम अधिकारी स्तर से जाति प्रमाण पत्र नियमानुसार एवं निर्धारित प्रपत्र में जारी किया होना चाहिये एवं नियमानुसार सक्षम अधिकारी द्वारा यह प्रमाणित किया गया हो कि “अपवर्जन का नियम इन पर लागू नहीं होता है, अर्थात् अनुसूची में वर्णित व्यक्ति क्रीमिलेयर का नहीं है तथा उक्त तथ्य सक्षम अधिकारी द्वारा काटा हुआ नहीं होना चाहिये।” यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
  2. अन्य पिछड़ा वर्ग का सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त नवीनतम मान्य प्रमाण पत्र पिता की आय के आधार पर जारी किया हुआ होना चाहिए। महिला आवेदकों के मामले में यदि पति के नाम एवं पति की आय के आधार पर जारी किया हुआ हो तो यह प्रमाण पत्र मान्य नहीं है, परन्तु अभ्यर्थी अपने पिता की आय के आधार पर प्रमाण पत्र जो कि विवाह के पश्चात् का बना हुआ प्रस्तुत करें तो ही मान्य होगा। ऐसा नहीं करने पर आवेदन पत्र इस कार्यालय को वापिस लौटा दें। उपर्युक्तानुसार अन्य पिछड़ा वर्ग के प्रमाण पत्र की सुनिश्चितता आप अपने स्तर पर करने के उपरान्त ही अन्य पिछड़ा वर्ग में चयनित आवेदकों को नियुक्ति प्रदान करने संबंधी कार्यवाही करें। यदि कोई अभ्यर्थी क्रीमिलेयर की श्रेणी में आता है तो उनका आवेदन पत्र अग्रिम कार्यवाही हेतु इस कार्यालय को भिजवायें।
10. आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई चयनित अभ्यर्थियों की सूची में उल्लेखित अभ्यर्थियों के वर्ग इत्यादि में यदि अन्तर पाया जाता है, तो ऐसे अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन-पत्र सूची के निदेशालय को भिजवाये ताकि आयोग कार्यालय को भिजवाकर प्रकरण की आयोग स्तर पर जांच की जा सके।
11. नियुक्ति अधिकारी द्वारा मूल प्रमाण पत्रों से जांच की जानी आवश्यक है एवं जांच में किसी प्रकार की भिन्नता पायें जाने पर अभ्यर्थियों के विस्तृत आवेदन पत्र मय सूची इस कार्यालय को लौटाया जाना सुनिश्चित करे ताकि आयोग कार्यालय को लौटाया जा सके।
12. चयनित अभ्यर्थियों को राजरथान सिविल सेवा(पुनरीक्षित वेतनमान) नियम-2017 के अनुसार वेतन लेवल-11 में प्रोवेशनर ट्रैनी (परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी) के रूप में दो वर्ष के प्रोवेशन पर नियमानुसार देय नियत मानदेय 26500/-रु. प्रतिमाह/विद्यमान वेतनमान पर नियुक्ति प्रदान की जायेगी।
13. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण (प्रोवेशनर ट्रैनी) की अवधि में फिक्स रेमुनरेशन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार के भत्ते यथा महंगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, शहरी क्षती पुर्ति भत्ता, महंगाई वेतन (डीपी) विशेष वेतन, बोनस आदि देय नहीं होगा।
14. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण(प्रोवेशनर ट्रैनी) की अवधि में राज्य बीमा, सामान्य प्रावधारी निधि आदि की कटौती नहीं होगी।
15. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण की अवधि को वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए गणना योग्य नहीं माना जावेगा।
16. परिवीक्षाधीन प्रशिक्षण अवधि में कलेण्डर वर्ष में केवल 15 दिन का आक्रमिक अवकाश वित विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार देय होगा।
17. वित विभाग के आदेश क्रमांक -एफ-12(9)एफ.डी.(रूल्स)2017 जयपुर दिनांक 30.10.2017 के अनुसार प्रोवेशनर ट्रैनी के फिक्स रेमुनरेशन से नवीन पेशन अंशदान की कटौती नियमानुसार होगी।
18. नियुक्ति आदेश में इस तथ्य का रूपांतर: अंकन किया जावें कि किस अभ्यर्थी का चयन किस वर्ग के निर्धारित आरक्षण के प्रति किया गया है, जैसा कि संलग्न सूची में संबंधित अभ्यर्थी के नाम के संमुख दर्शाया गया है।
19. संलग्न सूची में कतिपय अभ्यर्थियों के नाम/पिता का नाम/रथाई पते में सहवन से कोई त्रूटि रह गई है तो उन प्रकरणों में अभ्यर्थी के आवेदन पत्र एवं संलग्न प्रमाण पत्रों से मिलान कर अपने स्तर पर उसे दुरुस्त करें।
20. आयोग द्वारा चयनित कतिपय अभ्यर्थियों के नाम के आगे अंकित विशेष वर्ग (विकलांग/विधवा /परित्यक्ता) का उल्लेख नहीं होने पर आप ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्र के आधार पर इन्हें जिला स्तर पर तैयार की गई वरियता सूची में प्राथमिकता प्रदान करावें।
21. चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति आदेश प्रसारित विज्ञप्ति प्रयोगशाला सहायक, भर्ती परीक्षा-2018 के प्रकरण में माननीय न्यायालय में दायर विभिन्न समान याचिकाओं के निर्णयों के अध्यधीन रहेंगे।
22. टीएसपी एरिया हेतु निर्धारित रिक्तियों के प्रति (TGEM, TGEF, TSTM, TSTF, TSCM, एवं TSCF के प्रति) चयनित अभ्यर्थियों को टीएसपी एरिया में ही पदस्थापित किया जावेगा, ऐसे अभ्यर्थियों को सामान्य क्षेत्र में

पदस्थापित नहीं किया जावें। सामान्य क्षेत्र हेतु चयनित अभ्यर्थियों का पदस्थापन टीएसपी एरिया में नहीं किया जावे।

23. कार्यग्रहण करवाने से पूर्व संबंधित अभ्यर्थी से कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांकःप.7(3)कार्मिक / क-2/06 पार्ट दिनांक 04.10.2013 के अनुसार धूम्रपान/मद्यपान एवं गुटखा रोगन नहीं करने संबंधी बचनवंधता (Undertaking) निर्धारित प्रपत्र में प्राप्त किया जावें।
24. इन अभ्यर्थियों की नियुक्ति पर कार्यग्रहण की अंतिम तिथि दिनांक ३१/०८/२०२० निर्धारित की जावें। वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 में चयनित एवं अभिस्तायित अभ्यर्थियों के सम्माग आवंटन उपरान्त नियुक्ति/पदस्थापन हेतु रिक्तियों एवं वरियता का निर्धारण निम्नानुसार किया जावें।

**A. सम्माग आवंटन के पश्चात सम्भाग स्तर पर पदस्थापन की प्रक्रिया :-**

1. पदस्थापन हेतु प्रदर्शित किये जाने वाले स्पष्ट रूप से रिक्त पदों के चयन की प्रक्रिया :- सम्भाग में उपलब्ध करवाये गये चयनित अभ्यर्थियों के पदस्थापन हेतु जिलेवार स्पष्ट रिक्त पदों की संख्या का निर्धारण सम्भाग के सभी जिलों में सम्बन्धित विषय के उपलब्ध वरिष्ठ अध्यापक के स्पष्ट रूप से रिक्त पदों की संख्या के अनुपात में किया जावेगा।
2. पदस्थापन बाबत सम्भाग को उपलब्ध अभ्यर्थियों की काउंसलिंग हेतु जिलेवार उपलब्ध अभ्यर्थियों के अनुपात में विद्यालयों को निम्न प्राथमिकता अनुसार (125 प्रतिशत राउण्डअप) प्रदर्शित किया जायेगा –
  - a) वरिष्ठ अध्यापक के ग्रामीण क्षेत्र के सम्बन्धित विषय के रिक्त पद वाले उमावि (कक्षा 9 से 10 के नामांकन के घटते हुए क्रम में)।
  - b) यदि बिन्दु संख्या – a) से उपलब्ध विद्यालयों की संख्या, प्रदर्शित की जाने वाली विद्यालयों की संख्या से कम हो तो, वरिष्ठ अध्यापक के ग्रामीण क्षेत्र के सम्बन्धित विषय के रिक्त पद वाले मावि (कक्षा 9 से 10 के नामांकन के घटते हुए क्रम में)।
  - c) यदि बिन्दु संख्या – a) व b) से उपलब्ध विद्यालयों की संख्या, प्रदर्शित की जाने वाली विद्यालयों की संख्या से कम हो तो, वरिष्ठ अध्यापक के ग्रामीण क्षेत्र के सम्बन्धित विषय के रिक्त पद वाले उप्रावि (कक्षा 1 से 8 के नामांकन के घटते हुए क्रम में)।
  - d) यदि बिन्दु संख्या – a), b) व c) से उपलब्ध विद्यालयों की संख्या, प्रदर्शित की जाने वाली विद्यालयों की संख्या से कम हो तो उपरोक्त a), b) व c) चरणों को क्रमानुसार शहरी विद्यालयों हेतु दोहराया जायेगा।
3. पदस्थापन की कार्यवाही केवल स्पष्ट रूप से रिक्त पदों पर ही की जायेगी।
4. टीएसपी एरिया में टीएसपी हेतु निर्धारित नियमों के प्रावधानों की पालना सुनिश्चित की जावे।
5. सीधी भर्ती से चयनित वरिष्ठ अध्यापक (विषयवार) के पदस्थापन हेतु वरियता का क्रम निर्धारण निम्नानुसार किया जावें–
  - i. 40 प्रतिशत से अधिक दिव्यांग अभ्यर्थी। (आरपीएससी की मेरिट के क्रम में)
  - ii. विधवा महिला-विकल्प प्रस्तुतीकरण के साथ काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र 50/-रु० के स्टाम्प पेपर पर मय पति का मृत्यु प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किए जाने पर। (आरपीएससी की मेरिट के क्रम में)
  - iii. परित्यक्ता महिला-सक्षम न्यायालय द्वारा जारी विवाह विच्छेदन सम्बन्धी डिक्री एवं काउंसलिंग दिनांक तक पुनर्विवाह नहीं किए जाने का शपथ पत्र 50/-रु० के स्टाम्प पेपर पर प्रस्तुत किए जाने पर। (आरपीएससी की मेरिट के क्रम में)
  - iv. एकल महिला (अविवाहित) – 50/- रु. के स्टाम्प पेपर पर अविवाहित होने का शपथ पत्र प्रस्तुत किए जाने पर। (आरपीएससी की मेरिट के क्रम में)
  - v. भूतपूर्व सेनिक। (आरपीएससी की मेरिट के क्रम में)
  - vi. पति-पत्नी प्रकरण (पति अथवा पत्नी जैसी स्थिति हो) में से कोई पूर्व से राज्य सेवा/राजकीय विभाग/सार्वजनिक निगम/बोर्ड/उपक्रम में आवंटित संभाग में कार्यरत हो तो पति अथवा पत्नी द्वारा कार्यरत पति/पत्नी के वर्तमान पदस्थापित जिले में रिक्त उपलब्ध होने पर वरियता सूची में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए कार्यरत पति/पत्नी के सक्षम अधिकारी द्वारा प्रदत्त सेवा प्रमाण पत्र को आधार माना जाएगा। यदि आवंटित संभाग में पति/पत्नी पूर्व से कार्यरत नहीं हैं तो मेरिट/श्रेणी के अनुसार वरियता का निर्धारण किया जाएगा।
  - vii. उक्त भर्ती में समान/असमान विषय में पति-पत्नी दोनों के चयन होने की स्थिति में एवं एक ही संभाग आवंटित होने की स्थिति में दंपति में से किसी एक को प्राप्त उच्च वरियता के क्रमानुसार प्राथमिकता दी जाएगी। यदि पति-पत्नी दोनों को अलग-अलग संभाग आवंटित होता है तो मेरिट/श्रेणी के अनुसार वरियता का निर्धारण किया जाएगा।

- viii. शहीद परियार आश्रिता (अधियाहित पुत्री/धीरांगना) को राष्ट्रीय शहीद का राष्ट्रीय प्राप्तिकारी हासा जारी प्रमाण पत्र एवं पुत्री की रिति में अधिकारित होने सम्बन्धी शपथ पत्र प्रस्तुत करने पर। (आरपीएसरी की गैरिट के ग्राम में)
- ix. महिला अध्यर्थी। (आरपीएसरी की गैरिट के ग्राम में)
- x. अन्य शेष अध्यर्थी। (आरपीएसरी की गैरिट के ग्राम में)
6. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा A के विन्दु रांख्या 1, 2, 3 एवं 4 के अनुसार तैयार की रितियों की रूपी एवं विन्दु संख्या-5 के अनुसार तैयार की गई वरीयता रूपी यज्ञ प्रवाशन विभागीय घैबराईट तथा कार्यालय के नोटिस बोर्ड पर चर्चा किया जाकर वरियता सूची निर्धारित प्रमानुसार Counselling Camp (परामर्श शिविर) आयोजित किया जायेगा।
7. कार्मिक द्वारा Counselling Camp (परामर्श शिविर) में प्रदर्शित रितियों में से चयनित रिता रथान पर पदस्थापन के फोटोयुक्त आदेश जारी कर विभागीय घैबराईट और कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चर्चा किये जायेंगे।
8. वरिष्ठ अध्यापक के पद चयनित ऐसे अध्यर्थी जो Counselling Camp (परामर्श शिविर) में अनुपरिधित रहेंगे उन्हें Counselling Camp (परामर्श शिविर) पश्चात् संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा प्रकाशित रितियों में शेष रही रितियों पर पदस्थापन के फोटोयुक्त आदेश जारी कर विभागीय घैबराईट और कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चर्चा किये जायेंगे।
9. आदेश जारी करने से पूर्व उपलब्ध रितियों एवं कार्मिक की समरत प्रविष्टियों की जाँच कर आदेश जारी किये जावें, त्रुटियां नहीं हो। संस्थागत त्रुटिया होने पर संबंधित के विरुद्ध विभागीय जाँच सुनिश्चित की जावें।
10. संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कार्यालय द्वारा Counselling Camp (परामर्श शिविर) आयोजन के दौरान वर्तमान में वैशिक महामारी कोविड-19 की परिस्थितियों के अनुसार जारी एडवाइजरी में प्रदत्त निर्देशों की सम्यक पालना सुनिश्चित की जायेगी।

#### B. परिवेदना निस्तारण –

प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा समय-समय पर जारी परिपत्र/दिशा-निर्देश एवं विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों/परिपत्र आदि के क्रम में काउंसलिंग उपरान्त पदस्थापन के बाबत आपत्ति/परिवेदना देने की निम्न प्रकार प्रक्रिया निर्धारित की जाती है –

- 1) परिवेदना हेतु पात्रता –  
किसी भी अध्यर्थी की परिवेदना पर समुचित विचारण की आवश्यक शर्त उक्त अध्यर्थी द्वारा जारी पदस्थापन आदेश में अंकित नियुक्ति स्थान पर निर्धारित अवधि में कार्यग्रहण कर लिए जाने की होगी। परिवेदना प्रस्तुतकर्ता द्वारा नव पदस्थापित विद्यालय के संस्था प्रधान/कार्यालयाध्यक्ष से उक्त परिवेदना प्रार्थना पत्र अग्रेषण उपरान्त प्रेषित/प्रस्तुत किए जाने पर ही विचारण किया जा सकेगा।
  - 2) पदस्थापन स्थान सम्बन्धी आपत्ति –  
किसी भी अध्यर्थी को सम्मान आवंटन उपरान्त काउंसलिंग के माध्यम से सम्मान स्तर पर पदस्थापन स्थान (विद्यालय) सम्बन्धी आपत्ति हो, तो कार्यग्रहण के पश्चात् 15 दिवस की अवधि में संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कार्यालय द्वारा निदेशालय स्तर से जारी काउंसलिंग दिशा-निर्देशों में से जिस विन्दु का उल्लंघन किया गया है, उक्त बाबत स्पष्ट उल्लेख करते हुए सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) कार्यालय में अपनी परिवेदना स्वयं उपरिथित होकर दे सकेंगे।
  - 3) निस्तारण हेतु निर्धारित अवधि –  
सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा उनके अधीनरथ नवपदस्थापित अध्यर्थियों द्वारा प्रस्तुत समस्त परिवेदनाओं पर समुचित विचारण उपरान्त समस्त परिवेदनाओं के सम्बन्ध में 15 दिवस की समयावधि में स्पष्ट अनुशंसा सहित औद्योगिक पूर्ण टिप्पणी अंकित करते हुए समस्त प्रकरणों का समेकन कर निदेशालय को अनुमोदन हेतु भिजवाया जाएगा।
  - 4) संशोधन हेतु पूर्व अनुमोदन –  
सम्बन्धित संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा निदेशालय से परिवेदना स्वीकृति अनुमोदन के उपरान्त ही परिवेदक अध्यर्थी के पदस्थापन स्थान में संशोधन किया जा सकेगा। इसके अलावा नव पदस्थापित वरिष्ठ अध्यापक (संबंधित विषय) के पदस्थापन स्थान में किसी भी संयुक्त निदेशक (स्कूल शिक्षा) द्वारा स्वयं के स्तर पर कार्य व्यवस्थार्थ अथवा प्रतिनियुक्ति के नाम से कोई भी परिवर्तन नहीं किया जाएगा। उक्त निर्देशों के उल्लंघन की रिति में उत्तरदायी अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।
- उक्त के साथ आपको यह भी निर्देशित किया जाता है कि आप अपने कार्यालय के संस्थापन लिपिक को आवंटित अध्यर्थियों के विस्तृत मूल आवेदन पत्र प्राप्त करने हेतु इस कार्यालय के मुख्य प्रशासनिक भवन के कमरा नम्बर-11 से दिनांक 15/08/2020 को उपरिथित होने हेतु पावन्द करावें।
- संलग्न :- सूची मय आवेदन पत्र (टीएसपी-.....)

(सौरभ रचामी)


आई.ए.एस.

निदेशक, माध्यमिक शिक्षा,  
राजस्थान बीकानेर

प्राग्मांयः—शिखिरा / गाल्य / संरथा / एफ-१ / १२१०२ / सी.भ. / य.अ.—उर्दू(टीएसपी)–२०१८/२०२०/ प्रतिलिपि निम्नांकिता को रूपानाथ एवं आवश्यक कार्यवाही छेतु प्रेषित हैः—

दिनांक १३/०८/२०२०

१. संग्रहा शारन राधित, शिक्षा(मुप-२)धिकारी, राजरथान, जयपुर।
२. शारन उप राधित, कार्गिका(क-२)धिकारी, राजरथान, जयपुर।
३. राधित, राजरथान लोक रोड आयोग, अजगेर।
४. सिरदण्ड एनालिस्ट, काम्युटर अनुगाग कार्यालय हाजा को प्रति भेजकर निर्देशित किया जाता है कि वरिष्ठ अध्यापक, गाल्यगिक शिक्षा परीक्षा-२०१८ में वरिष्ठ अध्यापक घेड-ग के पद पर चयनित अभ्यर्थियों के सम्मान आवंटन के आदेश धिकारीय वेवसाईट पर अपलोड करने एवं संवंधित संयुक्त निदेशक (रकूल शिक्षा) कार्यालयों से पद्धरथापन छेतु प्राप्त वरीयता रूपी, रिक्तियां एवं नियुक्ति आदेश की प्रतियां धिकारीय वेवसाईट पर अपलोड करेंगे वी कार्यवाही सुनिश्चित करायें। यदि धिकारी संयुक्त निदेशक (रकूल शिक्षा) कार्यालय से वरीयता सूची रिक्तियां एवं नियुक्ति आदेश की प्रतियां पत्र में अंकित निर्धारित कार्यक्रमानुसार आप्राप्त रहती हैं तो संवंधित अनुगागाधिकारी को गय सूची अवगत करायें।
५. रक्षित पत्रावली।

  
संयुक्त निदेशक(प्रशिक्षण),  
माध्यमिक शिक्षा-राजरथान,  
वीकानेर

# कार्यालय-निदेशक, माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

वरिष्ठ अध्यापक, माध्यमिक शिक्षा परीक्षा-2018 विषय-उर्दू में अनुसूचित क्षेत्र (टीएसपी) हेतु अन्तिम रूप से चयनित एवं अभिस्तायित अभ्यर्थियों के नियुक्ति हेतु सम्माग आवंटन सूची

क्रमांक:-शिविरा / माध्य / संरथा / एफ-1 / 12102 / सी.भ. / व.आ.-उर्दू (टीएसपी)-2018/2020 / दिनांक १३/०८/२०२०

S.N O	ROLL NO.	MERIT NO.	NAME	FATHER NAME	DOB	SELE. CAT.	H.CAT.	GENDER	OWN CAT.	आवंटित सम्माग
1	452806	1	NABILA KOSAR	SATTAR MOHAMMAD SHEIKH	11-Sep-87	TGEM		FEMALE	GE,WE,TSP-UR	UDAIPUR
2	456821	2	SANAULLA KHAN	SO ASHFAKULLA KHAN	01-Jan-82	TGEM		MALE	GE,TSP-UR	UDAIPUR
3	603593	3	SHAHEEN BANU	ABDUL HAFIZ	07-May-92	TGEM		FEMALE	GE,WE,DV,TSP-UR	UDAIPUR
4	922102	4	CHAMAN JAAN PATHAN	JAMSHED KHAN PATHAN	15-Dec-91	TGEM		FEMALE	GE,WE,TSP-UR	UDAIPUR
5	462108	5	FAIZIYA KHAN PATHAN	LIYAKAT HUSSAIN	30-Oct-88	TGEM		FEMALE	GE,WE,RG,TSP-UR	UDAIPUR
6	454366	6	TOSHAB AHMED QADRI	AKIL AHMED QADRI	24-Jun-84	TGEM		MALE	GE,TSP-UR	UDAIPUR
7	458519	7	NILOFER PARVEEN	SHAHID MOHAMMED	13-Feb-84	TGEF		FEMALE	GE,WE,TSP-UR	UDAIPUR
8	458619	8	AAYATULLA KHAN	AMANULLA KHAN	13-May-92	TGEM		MALE	GE,TSP-UR	PALI
9	458500	9	NISHAT A NOOR	MO ILIYAS BELIM	01-Apr-91	TGEF		FEMALE	GE,WE,TSP-UR	UDAIPUR
10	921601	10	SURJIT SINGH Maida	LAL SINGH Maida	21-Sep-86	TSTM		MALE	TSP-ST	UDAIPUR
11	457630	11	SURESH KUMAR SOLANKI	MAN SINGH SOLANKI	01-Jul-86	TSTM		MALE	TSP-ST	UDAIPUR

  
(सौरभ स्वामी)

आई.ए.एस.  
निदेशक, माध्यमिक शिक्षा  
राजस्थान, बीकानेर